विजयलक्ष्मी जोशी आई.ए.एस.
VIJAYLAXMI JOSHI I.A.S.

सत्यमेव जयते

सचिव
भारत सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
Secretary
Government of India
Ministry of Drinking Water and Sanitation
C-3 Wing, 4th Floor, Paryavaran Bhawan, New Delhi-110003
Tel. : 24361670, 24361671, 24361672 Fax : 24361669
E-mail : secydws@nic.in
Website : www.ddws.nic.in

अ.शा. पत्र सं. 2/2/एस(डीडब्ल्यूएस)/2015
10 फरवरी, 2015

प्रिय मुख्य सचिव,

16 मार्च से 22 मार्च, 2015 तक
"राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता जागरूकता सप्ताह"
की शुरूआत

जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार (i) भारत को स्वच्छ बनाने; और (ii) ग्रामीण आबादी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

2. स्वच्छता तथा ग्रामीण पेयजल जैसे मुद्दों पर भारत के गाँवों में जागरूकता बढ़ाने के लिए मंत्रालय दिनांक 16 मार्च से 22 मार्च, 2015 तक सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 'राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता जागरूकता सप्ताह' की शुरूआत कर रहा है, जो 22 मार्च, 2015 को विश्व जल दिवस समारोह के रूप में समाप्त होगा।

3. अभियान के केन्द्र बिन्दु के रूप में (i) गाँवों को स्वच्छ रखने के लिए स्वच्छ भारत मिशन पर संपूर्ण जागरूकता पैदा करना, (ii) शौचालयों के निर्माण तथा उपयोग, (iii) साबुन से हाथ धोने के महत्व, (iv) पेयजल के सुरक्षित ढंग से उपयोग तथा भंडारण, (v) जल संरक्षण, तथा (vi) जलापूर्ति प्रणाली के लिए संचालन एवं रख-रखाव में भागीदारी पर जोर देना होगा।

4. इस प्रयास के सफल होने के लिए संभाव्य भागीदारों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। इसमें निम्न शामिल हैं:-

- आईईसी परामर्शदाता, स्वच्छता दूत, ब्लॉक तथा जिला समन्वयक तथा वीडब्ल्यूएससी सदस्य;
- स्कूली छात्र;
- आशा की सेवाएँ, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्वयं सहायता समूह, स्कूली अध्यापक, डॉक्टर, पंचायती राज संस्थान, पटवारी तथा सभी विभागों के ग्राम स्तर के कार्यकर्ता;
- दृश्यता तथा स्वीकार्यता के लिए स्थानीय नेता तथा गाँव के जाने-माने व्यक्ति;
- एनसीसी कैडेट, ब्वाय स्काउट, गर्ल गाइड, नेहरू युवा केन्द्रों की सेवाएँ;
- विभिन्न वर्गों तक पहुँचने के लिए रोटेरी तथा लॉयंज क्लब तथा ऐसी ही अन्य संस्थाएँ;

- स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास तथा स्कूली शिक्षा विभाग जैसे अन्य विभागों के अधिकारी, जिनसे स्वच्छता अभियान के दौरान अपने कार्मिकों की सेवाएँ देने का अनुरोध किया जाए;
- बहुपक्षीय संगठन जैसे यूनीसेफ, डब्ल्यूएसपी जीएसएफ, डब्ल्यूएसएससीसी आदि।
- सुलभ, वॉटरएड, प्लान इंडिया, अर्घ्यम्, वॉटर फॉर पीपल जैसी एजेंसियाँ;
- मीडिया के प्रतिनिधि।

5. इस वृहद अभियान को चलाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) (आईईसी) के अंतर्गत निधियों तथा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के अंतर्गत (सहायता) निधियों का प्रभावशाली तथा उत्साहपूर्वक उपयोग करें। मंत्रालय अगले सप्ताह में किसी समय सभी राज्यों के सचिवों के साथ वीडियो-कॉन्फ्रेंस करने की योजना भी बना रहा है।

6. अत:, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि एक समन्वय समिति के प्रधान बनकर स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पीएचईडी तथा महिला एवं बाल विकास विभागों के साथ बैठक करें। केन्द्रीय स्तर पर मैंने पहले ही संबंधित मंत्रालयों के साथ ऐसी बैठक कर ली है। वे भी इस संबंध में निर्देश जारी करेंगे।

7. और अधिक जानकारी हेतु राज्य के अधिकारी कृपया इनसे संपर्क कर लें--सुश्री संध्या सिंह, संयुक्त निदेशक (सांख्यिकी तथा आईईसी), पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, (दूरभाष 24364112- ई-मेल: sandhya.singh@nic.in); तथा डॉ टी.के.दास, राष्ट्रीय परामर्शदाता (आईईसी), दूरभाष : 088260112628- ई-मेल : dr_tkdas47@rediffmail.com)

सादर,

भवदीया,

(विजय लक्ष्मी जोशी)

सभी राज्यों और संघशासित क्षेत्रों
के मुख्य सचिव